न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री संजीव कुमार खेदर, आर ए एस

वाद संख्या :— 133 / 2025

उनवान

1.दौलतराम पुत्र हनुमान सहाय जाति गुर्जर निवासी माधोकाबास तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

— प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार(भूधारक)तहसीलदार, तहसील कार्यालय शाहपुरा जिला जयपुर(राज)
2. हनुमान पुत्र भौरिया
3 भैरू पुत्र भौरिया

समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम माधोकाबास तहसील —शाहपुरा जिला जयपुर(राज.)

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू—राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 24.04.2026

उपस्थितः— प्रार्थी अधिवक्ता राजेन्द्रप्रसाद यादव

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल आराजी खसरा नं0—1036 / 881, 1118 / 852, 1125 / 888,1038 / 883 1108 / 1044, 1111 / 889, 1113 / 1034,1114 / 1040,1121 / 861 कुल किता—9 कुल रकबा 1.3588 हैक्टर वाकै ग्राम माधोकाबास तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है उक्त भूमि में प्रार्थी का सम्पूर्ण हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज अंकित हैं।प्रार्थी उक्त खातेदारी भूमि पर काबिज रहकर काश्त व अपने उपयोग—उपभोग में लेता आ रहा हैं। प्रार्थी ने अपनी भूमि का दिनांक 02.07.25 को तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर के ऑनलाईन सीमाज्ञान आदेश कमांक / 2025 / 12677 / 4 दिनांक 01.07.2025 के द्वारा प्रार्थी की भूमि का सीमाज्ञान किया गया जिसमें प्रार्थीया अपनी भूमि की सीमा तक हाल आबाद काबिज काश्त हैं ।

सीमाज्ञान राजस्व कर्मचारी व अधिकारियों से खातेदान व उपस्थित व्यक्तियों की उपस्थिति में सीमाज्ञान किया गया प्रार्थीया द्वारा सीमाज्ञान करवाये जाने के बावजूद प्रार्थी आराजी खसरा नं0—1036 / 881, 1118 / 852, 1125 / 888,1038 / 883 1108 / 1044, 1111 / 889, 1113 / 1034,1114 / 1040,1121 / 861 कुल किता—9 कुल रकबा 1.3588 हैक्टर वाकै ग्राम माधोकाबास के पास स्थित आराजी काश्तकार अप्रार्थीगण संख्या 2 लगा0 3 द्वारा प्रार्थी की उक्त भूमि की सीमाओ पर सींव,डोल आदि का विवाद करते रहते हैं ।अतः प्रार्थीया उक्त सीमाज्ञान के आधार पर अपनी भूमि का मुताबिक सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी करवाना चाहता हैं ।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राज.

प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र पेश होने पर रिपोर्ट सरिश्ता ली जाकर तथा प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगा0 3 को नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थीगण संख्या 1 लगा0 3 की तामील हो चुकी हैं बावजूद तामील अप्रार्थीगण 1 लगा0 3 अनु0 ना ही कोई जवाब पेश किया हैं जवाब हेतु एक अवसर दिया गया अवसर देने के बावजूद कोई उप0 नही ना ही कोई जवाब प्रस्तुत किया अत: उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया।वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यो एवं फर्द मौका सीमाज्ञान का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया के द्वारा अपनी भूमि की सुरक्षा एवं आस पास के खातेदारों द्वारा सीमाचिन्ह के अभाव में सीवडोल काटने से आये दिन होने वाले विवादो की वजह से पत्थरगढी करवाना चाहता हैं। पत्थरगढी करवाना एक खातेदार/काश्तकार का अधिकार हैं। तथा इसके द्वारा अपनी सीमा के विवाद,सीमा दबाना आदि अनावश्यक मुकदमेंबाजी से बचाव का यह एक उपाय है।जिसके अभाव में काश्तकार अपनी सीमाचिन्ह से सुरक्षा आदि उपाय नही कर सकते हैं।मौके पर सीमाज्ञान होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार करना उचित समझते हैं।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता हैं कि हाल आराजी खसरा नं0–1036/881, 1118/852,1125/888,1038/883,1108/1044,1111/889,1113/1034,1114/1040, 1121/861 कुल किता–9 कुल रकबा 1.3588 हैक्टर वाकै ग्राम माधोकाबास तह0 शाहपुरा जिला जयपुर की खातेदारी भूमि का पडौसी खातेदारान को सूचित करते हुये एवं कब्जे से संबंधित विवाद होने पर कब्जा सुपुर्द नही करते हुये उनकी उपस्थिति के मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 02.07.2025 के अनुसार यदि पूर्व में पत्थरगढी नही हुई हो तो पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश दिया जाता है । तदानुसार तहसीलदार शाहपुरा को आदेश जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 24/4/26 को सरै इजलास सुनाया गया ।

उप खण्ड अधिकारी ... शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

(संजीव कुमार)
उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राज.
शाहपुरा (जयपुर